International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 03(I), July - September, 2021, pp.198-206

भारतीय संदर्भ में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ (NPA): चुनौतियां एवं समाधान (भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं आई. सी. आई. सी. आई बैंक (ICICI) का तुलनात्मक अध्ययन)

हरगोविन्द खरेरा*

सार

भारतीय स्टेटबैंक : *भारत में आधुनिक बैंकिंग का विकास 18वीं भाताब्दी में ऐजेन्सी ग्रहों की स्थापना के साथ हुआ माना जाता है। ऐजेन्सी ग्रहों की स्थापना ब्रिटिश व्यावसायी वर्ग के द्वारा भारत में स्थानीय देशी बैंकर्स की भाषा की समस्या एवं कार्य प्रणाली की अज्ञानता के कारण हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरुप देश में केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश में पूर्व में स्थापित तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का एकीकरण करके देश में एक नवीन बैंक इम्पीरियल बैंक की स्थापना वर्ष 1921 में केन्द्रीय बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई और भारत में बैंकिंग के विकास हेतु अनेक सुझावों को ध्यान में रखते हुए इंपीरियल बैंक एवं इससे संबंधित अन्य 8 और बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेकर इंपिरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की।*

आईसीआईसीआई बैंक : *आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र का सबसे अधिक औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान था। बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले सुधारों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार कंप्यूटरीकृत आधुनिक तकनीक से युक्त बैंकों की स्थापना की आवश्यकता होने के कारण भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आधुनिक नवोन्मेषी बैंकों की स्थापना का प्रयास किया गया। जिसके परिणामस्वरूप आईसीआईसीआई निगम के द्वारा अपनी सहयोगी संस्था के रूप में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की स्थापना 5 जनवरी, 1994 में की गई।*

गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां : *गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां शब्द पूरे विश्व में कार्यरत एवं संचालित सभी प्रकार के बैंकों एवं समस्त प्रकार के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सारगर्भित शब्द है। इसका उपयोग ऋणों की वास्तविक स्थिति जानने, बैंक के ऋणों की वसूलीकरण के प्रति बैंकिंग नीति एवं प्रबंध व्यवस्था एवं कुछ संपत्तियों की निष्पादन एवं गैर–निष्पादिन क्षमता का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है।*

शब्दकोशः *प्रेसीडेंसी बैंक, इम्पीरियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकरण, सहायक बैंक, पूंजी, गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां*

प्रस्तावना

किसी देश की आर्थिक गतिशीलता उस देश में विद्यमान प्रभावशाली बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। बैंक ही ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो देश में मुद्रा एवं साख का निर्माण एवं नियंत्रण करते हैं। जिस देश की बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक सुदृढ़, चिरस्थाई एवं विश्वसनीय होती है उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही अधिक विकसित एवं गतिशील होती है। आर्थिक विकास की प्रथम कड़ी बैंक ही होते हैं क्योंकि बैंक ही जनता,

[6] सहायक आचार्य ई.ए.एफ.एम., राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, अलवर, शोधार्थी, राज ऋषिभर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान।

व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं सरकार के मध्य मौद्रिक विकास, मौद्रिक विस्तार एवं मौद्रिक नियंत्रण करते हैं। जिस देश में बैंकिंग प्रणाली का विकास किसी विधान के अधीन जितना अधिक हुआ है उतना ही अधिक मात्रा में उस देश में आर्थिक विकास भी हुआ है। बैंकिंग प्रणाली के विकास के साथ–साथ अर्थव्यवस्था का विकास भी अपनी गति से बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे– सरकार बैंकिंग व्यवस्था से जनता में विभिन्न माध्यमों से मुद्रा की पूर्ति में विस्तार करती है, मुद्रा विस्तार से जनता में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने से हर आय वर्ग के व्यक्ति आवश्यकतानुसार वस्तुओं की मांग करते हैं तो वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, वस्तुओं की मांग के अनुसार पूर्ति बढ़ाने के लिए उत्पादक उत्पादन अधिक करके उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं। जिससे उत्पादन बढ़ाने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की मांग बढ़ती है, संसाधनों की मांग बढ़ने के कारण रोजगार के अवसर एवं पारश्रमिक/मजदूरी बढ़ती है। मजदूरी बढ़ने के साथ–साथ पुनः जनता की आय बढती है। जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में जोखिमों से बचने के लिए जनता में बचतों को प्रोत्साहन मिलता है। यदि जनता में बचतें बढ़ती हैं तो जनता अपनी बचतों को बैंकों में जमा कर देती है। जिससे बैंकों में बहुत बडा मौद्रिक या वित्तीय कोष उत्पन्न होता है। बैंकों के पास उत्पन्न जमा कोष को बैंक अपने पास नही रख सकते, लेकिन इस जमा कोष में से भावी जोखिम की सुरक्षा हेतु धन बचाकर शेष धन सरकार के दिशा–निर्देशानुसार किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को ऋण के रूप में उधार दे देते हैं या फिर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विनियोजित कर देते हैं। जिससे बैंको में ऋण परिसम्पत्तियों की मात्रा में वृद्वि होने लगती हैं इन ऋण परिसम्पत्तियों में कुछ ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान हो जाता हैं तो बैंक में और अधिक मात्रा में ऋण देने की प्रवृति बढ़ती है लेकिन इनमें से कुछ ऋणों का उचित समय पर एवं उचित समय के पश्चात भी पुनर्भुगतान नहीं होता है तो बैंक में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की राशि बढ़ जाती है जिसके कारण बैंक अन्दर से पूर्णतः खोखला हो जाता है और सम्बन्धित बैंक को दिवालिया घोषित करने, बन्द करने एवं दुसरे बैंक के साथ विलय करने कि स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

भारतीय स्टेट बैंक

भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवसाय का प्रराम्भ सर्व प्रथम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रथम कड़ी वर्ष 1806 में प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ मना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना विभिन्न चरणों में हुई है जैसे–

- **प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना :** 19 वीं सताब्दी के प्रारम्भ में इस्ट इणिडया कम्पनी के वाणिज्यक बैंकों सम्बंधी एकाधिकारों के समाप्त होने से एजेन्सी गृह असफल होने लगे तब तत्कालीन सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 1806 में प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ कलकत्ता, वर्ष 1840 में प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ बम्बई तथा वर्ष 1843 में प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ मद्राश की स्थापना मिश्रित पून्जी वाले बैंकों के रूप में हुई थी।
- **इम्पीरयल बैंक की स्थापना :** प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरुप देश में बैंकों की स्थिति खराब होने से कमजोर बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। इसी के कारण देश में केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, देश में पूर्व में स्थापित तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का एकीकरण करके देश में एक नवीन बैंक "इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया" की स्थापना वर्ष 1921 में इम्पीरियल बैंक अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई। इस बैंक की अधिकृत पून्जी ₹ 11.25 करोड़ थी जो ₹ 500 मुल्य के 2.25 लाख अंशों में विभाजित थी और इसकी प्रदत पून्जी ₹ 5.625 करोड़ थी। इस बैंक की स्थापना देश में केंद्रीय बैंक के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए की गई थी। यह बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक एवं बैंकों की सहायता आदि का कार्य करता था लेकिन फिर भी इसमें अनेक दोष होने के कारण यह बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों व मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वर्ष 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अनेक कमियों की रिपोर्ट एवं वर्ष 1951 में भारतीय ग्रामीण साख के विस्तृत अध्ययन के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण

समिति का गठन किया गया, जिसने वर्ष 1954 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रकार अनेक सुझावों को ध्यान में रखते हुए इंपीरियल बैंक एवं इससे संबंधित अन्य 8 और बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेकर इंपिरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई, 1955 को **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** की स्थापना की गई एवं अन्य 8 बैंकों को इसके सहायक बैंकों के रूप में **स्टेट बैंक समूह** के अंतर्गत निर्धारित किया गया।

- **पूंजी :** स्थापना के समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी ₹ 20 करोड़ थी जो कि ₹ 100–100 के 20 लाख अंशों में विभाजित थी एवं पूंजी ₹ 5.625 करोड़ निर्धारित की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अनुसार इस की कुल निर्गमित पून्जी का 55 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया था।
- **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रगति :** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1955 से वर्ष 1969 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, सरकारी योजनाओं, लघु उद्योगों एवं विदेशी व्यापार के लिए निर्यात हेतु बहुत अधिक मात्रा में शाखा विस्तार किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय वर्ष 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख किया गया कि आगामी 5 वर्षों में 400 शाखाएं खोली जाएंगी। इस लक्ष्य को बैंक ने समय पर पूरा कर लिया था इस प्रकार बैंक ने वर्ष 1960 तक 907 शाखाएं स्थापित करली थी। लेकिन वर्तमान (2021) में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में 22141 शाखाएं एवं 58555 एटीएम मशीने देश में स्थापित कर रखी हैं और अब तक 38338 ग्रामीण क्षेत्रों में 12.29 लाख कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर चुका है जो कि बैंक के प्रत्यक्ष वित्त का 38.3 प्रतिशत है।

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक निजी क्षेत्र का सबसे अधिक औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान था। क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले सुधार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार कंप्यूटरीकृत एवं आधुनिक तकनीक से युक्त बैंकों की स्थापना की आवश्यकता होने के कारण और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आधुनिक नवोन्मेषी बैंकों की स्थापना का प्रयास किया गया। जिसके परिणामस्वरूप आई. सी. आई. सी. आई. निगम के द्वारा अपनी सहयोगी संस्था के रूप में आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 एवं भारतीय बैंकिंग (नियमन) अधिनियम, 1949 के अंतर्गत 5 जनवरी, 1994 में की गई। जिसकी स्थापना के समय अधिकृत पून्जी ₹ 300 करोड़ एवं निर्गमन पून्जी ₹ 165 करोड़ निर्धारित की गई थी। वर्तमान (वर्ष 2021) में बैंक ने 5275 शाखाओं के साथ पूरे देश में बैंकिंग व्यवसाय की विभिन्न उत्पादों हेतु अनेक सेवाएं प्रदान की हैं।

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियां

- **निष्पादित परिसंपत्तियां :** बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए समस्त प्रकार के ऋणों को ग्राहक उचित समय पर मूल ऋण एवं उस पर ब्याज की राशि अर्थात मूलधन 91 दिन/3 माह एवं ब्याज की राशि का पुनर्भुगतान 365 दिन/एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रोकता है और समस्त मूलधन मय ब्याज उचित समय से पूर्व या समय पर बैंक को चुका देता है तो इसे बैंक की भाशा में निष्पादित परिसम्पत्तियां एवं वित्तीय भाषा में मानक परिसम्पत्तियां परिसम्पत्तियां परिसम्पत्तियां कहा जाता है। क्योंकि इन ऋणों पर प्राप्त ब्याज से बैंक को आय प्राप्त होती है जिससे समस्त बैंकिंग परिचालन का कार्य करने के साथ–साथ लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्हें निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं।
- **गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां :** गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां शब्द पूरे विश्व में कार्यरत एवं संचालित सभी प्रकार के बैंकों एवं समस्त प्रकार के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सारगर्भित शब्द है जिससे इसका उपयोग कुछ संपत्तियों का निष्पादन एवं गैर–निष्पादिन क्षमता का अध्ययन,

ऋणों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए और बैंक के ऋणों की वसूलीकरण के प्रति बैंकिंग नीति एवं प्रबंध व्यवस्था कि जानकारी के लिए किया जा सकता है। बैंक ग्राहक को जो ऋण देता है ग्राहक उस ऋण का बैंक को कुछ समय तक पुनर्भुगतान करने के पश्चात किसी कारणवश मूल ऋण की राशि/मूलधन का पुनर्भुगतान 91 दिन अथवा 3 माह तक एवं ब्याज की राशि का भुगतान 365 दिन अथवा 1 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक करने में असफल रहता है तो बैंक इस प्रकार के ऋणों को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति मान लेता है ये वो संपत्तियां होती हैं जो बैंक के खाते (Account) में संपत्ति के रूप में तो दर्शाई हुई होती है लेकिन बैंक के लिए इनका निष्पादन समाप्त हो जाता है इसलिए इन्हें गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के नाम से जाना जाता है।

- **बैंकिंग ऋण का गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में परिवर्तन :** रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि बैंक द्वारा दिए गए किसी ऋण (परिसंपत्ति) से ब्याज के रूप में आय प्राप्त होना बंद हो जाए तो उसे गैर– निष्पादित परिसंपत्ति माना जाना चाहिए। इसके लिए बैंक को संबंधित ऋण खाते को विशेष उल्लेखित खाते Special Mention Account (एस. एम. ए.) के अनुसार चिन्हित करना होता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट की प्रक्रिया में किसी ऋण खाते में मूलधन और ब्याज की किस्त का पुनर्भुगतान निर्धारित तिथि से 30 दिन तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 0, 31 दिन से 60 दिन तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 1 एवं 61 दिन से अधिक समय तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 2 की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

किसी ऋण खाते को बैंक द्वारा गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में चिन्हित करने या घोषणा करने के पश्चात बैंक उस गैर–निष्पादित परिसंपत्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशानिर्देशानुसार तीन प्रकार से विभाजित करके दिखाता है जैसे उपमानक, संदेहास्पद एवं नष्ट गैर–निष्पादित परिसंपत्ति, जिनकी व्याख्या इस प्रकार की गई हैः–

- **उपमानक गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां :** ऋण की वह राशि जो 18 माह तक वसूल नहीं हो सकी हो उसे उपमानक गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं।
- **संदेहास्पद गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां :** बाजार में आर्थिक मंदी, आकास्मिक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं एवं वैश्विक महामारियों (कोरोना के कारण लॉकडाउन से बाजार बन्द होना) आदि के कारण बैंक द्वारा दी गई ऋण की वह राशि जो 18 महीने से अधिक समय से वसूल नहीं हो सकी हो और ऐसे ऋण की राशि के पुनर्भुगतान की संभावना हो अथवा वसूल होने की संभावना हो तो उसे संदेहास्पद गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं।
- **नष्ट गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां :** बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के द्वारा ग्राहक को दिए गए ऋण की वह राशि जो पूर्णतः डूब चुकी है और भविष्य में इस ऋण का ग्राहक के द्वारा पुनर्भुगतान अथवा बैंक द्वारा वसूलीकरण असंभव हो जाता है तो ऐसे ऋणों को नष्ट हो चुकी गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं।

समस्या

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक में बढ़ती हुई गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियां चिन्ता का विषय है।

साहित्य सर्वेक्षण

इससे पूर्व गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति विषय पर बदलते समय के अनुसार अनेक प्रकार के वृहत एवं लघु शोध अध्ययन आयोजित किये गये जिनमें से कुछ प्रकाशित एवं कुछ अप्रकाशित हैं तथा इस विषय पर विभिन्न लेखकों एवं शोधार्थियों के द्वारा विभिन्न लेख एवं शोध–प्रतिवेदन प्रकाशित किये गये और कुछ विषय सामग्री इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है जिसका सर्वेक्षण करने के पश्चात कुछ शोध अध्ययनों का साहित्य सर्वेक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

- मन्जू (2018)[1] ने "बैंक क्रेडिट एवं वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट" विषय पर कन्याकुमारी में एक शोध अध्ययन का आयोजन किया। इस शोध अध्ययन के प्रारम्भ में देश में उद्यमिता कि आवश्यकता, महत्व, विकास, रोजगार के आधार पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि आदि अनेक आधारों पर भारत जैसे विकासशील देश में इसकी उपादेयता को शिद्ध किया है एंटरप्रेन्योरशिप के विकास–विस्तार में आने वाली अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है इस प्रजातन्त्र में महिला उद्धमिता के विकास में आने वाली बाधाओं की व्याखा एवं इनका समाधान इसी के साथ–साथ महिला सशक्तिरण हेतु महिला समुहों के माध्यम से उन्हे उद्यमिता कौशल विकास हेतु प्रोत्साहित करके आवश्यक मौद्रिक संसाधनों की पूर्ति करना। शोध अध्ययन के अन्त में उन्होने बताया कि महिला उद्यमिता को विकसित तो किया जा सकता है लेकिन समाज में व्याप्त पून्जीगत संसाधनों का अभाव उन्हे आगे बढ़ने नही देता है। इसलिए उन्होने सुझाव दिया कि देश में महिला उद्यमिता के विकास हेतु महिलाओं को संग्ठित करने, प्रोत्साहित करने, उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान करने, समय पर ऋण के पुनर्भुतान हेतु प्रोत्साहित करने आदि के द्वारा महिला उद्यमिता को विकसित किया जा सकता है और समय पर ऋणों को वसूल किया जा सकता है ताकि बैंकों में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके और महिला उद्यमिता एवं बैंकिग व्यावसायिक संस्थाओं का सत्त विकास होता रहे।
- देशमुख, रेणुका एच (2015)[2] ने "बैंक फाइनेन्शिंग ऑफ कलीन डेवलपमेन्ट मेकेनाइज्म प्रोजैक्ट इन इण्डिया ए स्टडी ऑफ एक्साइटिंग प्रोसिजर्स शिस्टम एण्ड चैलेन्जेज विद रेफ्रेन्श टू इन्डस्ट्रीज इन महाराष्ट्रा" विषय पर महाराष्ट्र में एक शोध अध्ययन का आयोजन किया। इस शोध अध्ययन के प्रारम्भ में वैश्रिक–स्तर पर गरीब देशों की आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, कृषि आधारित जीवनव्यापन, वित्त के अभाव में कृषि उत्पादन की समस्या, बैंकों से वित्त प्राप्ति में कठिनाइयाँ, ऋणों के पुनर्भुगतान की स्मस्या, बैंकों में भ्रष्टाचार व जातिवाद की समस्या आदि अनेक शीर्षकों के आधार पर व्याख्या की है शोध के मध्य भाग में उन्होने देश की जनता के लिए कृषि विकास, रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के प्रशिक्षण आदि अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को ऋण देने एवं ऋण पुनर्भुगतान के लिए ग्राहकों का अधिक ध्यानाकृषित किया है और अन्त में उन्होने महाराष्ट्र में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा आदि समस्याओं की समाप्ति के लिए सरकार द्वारा नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सन्चालन में बैंकों की भुमिका पर जोर देते हुए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों एवं ऋण के पुनर्भुगतान के प्रबन्ध पर जोर दिया, ताकि बैंकों में गैर–निषपादित परिसम्पत्तियों में वृद्धि को रोका जा सके।
- घोष प्रियंका (2015)[3] ने "बैंक मर्जर्स इन इण्डिया : इफैक्ट ऑन फाइनेन्शियल परफॉरमेंशेज एण्ड शेयर होल्डर्स वैल्थ ऑफ द एक्वायर्र बैंकस" विषय पर एक शोध अध्ययन आयोजित किया। शोध प्रतिवेदन में उन्होने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकिंग प्रणाली को ठोस आर्थिक विकास का मजबूत स्तम्भ बताया, देश में बैंकिंग इतिहास को पूर्णरूपेण समझाया, विभिन्न बैंकिंग सुधारों हेतु गठित की गई विभिन्न समितियों की व्याखा की, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बैंकिंग एवं मौद्रिक नियन्त्रण, 'सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों' की कार्य प्रणाली, बैंकों में पून्जीगत संसाधनों की कमी, ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों की प्रक्रिया, ग्राहकों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति एवं बैंकों द्वारा ऋण वसूलीकरण की परम्परागत पद्दति आदि की सविस्तर व्याख्या की। शोध अध्ययन के अन्त में एक दूसरे बैंकों के विलिनीकरण के विभिन्न कारण जैसे बैंकों में धनाभाव, सार्वजनिक क्षेत्रके बैंकों में नवीन प्रोधौगिकी का अभाव, अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था ग्राहक असन्तुष्टी, ऋणों के वसूलीकरण में देरी, बैंकिंग प्रतिस्पर्धा का अभाव एवं गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों में लम्बी अवधि तक अनावश्यक वृद्धि आदि अनेक कारणों से बैंकों का विलिनीकरण होना बताया और बैंकों में विलिनीकरण की समस्या को कम करने के लिए सुरक्षित ऋण पद्दति, समय पर ऋण वसूलीकरण, ऋणी ग्राहकों को ऋणों के पुनर्भगतान के लिए प्रेरित करना एवं गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति में कमी करने हेतु सुझाव भी दिए है।

- शर्मा अरूण कुमार (2014)[4] ने "बैंक क्रेडिट टू स्मॉल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज एण्ड इम्पैक्ट ऑन फाइनेन्शियल परफॉरमेन्सः ए स्टडी ऑफ सैलेक्टेड फर्मस इन साउथेर्न राजस्थान" विषय पर शोध अध्ययन आयोजित किया। उन्होने प्रारम्भ में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों की आर्थिक विकास में भूमिका की सविस्तार व्याखा की। अपने शोध प्रतिवेदन में विभिन्न बिन्दुओं के आधार पर बैंकों के द्वारा लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया लघु एवं मध्यम आकार मे औद्योगिक ग्राहकों के द्वारा बैंकों ऋण का पुनर्भुगतान करने की स्थिति एवं बैंकों के द्वारा प्रदान किए गए ऋण की वसूलीकरण की धीमी गति की व्याखा की। उन्होनें बताया की बैंकों में छोटे स्तर के ऋण लेने वाले ग्राहकों से बैंकों को ऋण वसूलीकरण में इतनी समस्या नहीं आती है और ऐसे ऋणों से गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए कम राशि के ऋणों को बैंकों के संचालन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है इस आधार पर अन्त में उन्होंने बैंकों को छोटे स्तर के ऋण अधिक देने का सुझाव दिया।
- पाल नित्या नन्द (1989)[5] ने "बैंक फाइनेन्श एण्ड देयर रिकवरी प्रोबल्मश विद स्पेशियल रेफ्रेंश द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुदरवान" विषय पर अध्ययन आयोजित किया। इस शोध अध्ययन में उन्होंने राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, जीवन बीमा व्यावसायिक संस्थाओं एवं विकास बैंकिंग संस्थाओं की पुन्जीगत स्थिति, आर्थिक स्थिति, ऋण पद्दति, ऋण वसूलीकरण पद्दति एवं तत्कालीन प्रगति की सविस्तार व्याखा की है। इसके पश्चात शोध प्रतिवेदन में एनालेशिष ऑफ द प्रोबलम्स ऑफ बैंक" फाइनेन्श बिन्दु में उन्होने बताया कि बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार एवं देश में आर्थिक विकास के लिए मुद्रा या वित्त का परिसंचरण या ऋण का पुनर्भुगतान आवश्यक हैं अन्यथा गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं इसमें वृद्धि होने पर बैंकिंग एवं वितीय संस्थाओं का अस्तित्व संकट में आ जाता है जिससे बैंक दिवालिया होने पर इनका अस्तित्व समाप्त कर के दुसरे बैंक के साथ विलय करना पड़ता है। इसके समाधान हेतु उन्होने बताया कि ये बैंक सामान्यतः नाबार्ड या केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्वित्त की सुविधा पर जिन्दा रहते हैं। अन्त में उन्होने बैंकिंग विस्तार एवं विकास हेतु सुझाव दिया कि बैंक जमाओं में वृद्धि करना, सुरक्षित ऋण पद्दति, सीमित ऋण पद्दति के ऋण देना, कम राशि के अधिक संख्या में ऋण देना, उचित समय पर वसूलीकरण करना, संदिग्ध ग्राहकों से वसूलीकरण पर जोर देना आदि अनेक प्रकार के तथ्यों पर जोर दिया।

शोध अध्ययन कार्य क्षेत्र

इस शोध अध्ययन का आयोजन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों (**भारतीय स्टेट बैंक एवं आई. सी. आई. सी. आई बैंक**) के संमकों के आधार पर वर्ष 2010 के संमकों से प्रारम्भ किया गया है।

संमक संकलन

- **प्राथमिक संमक :** ऐसे संमक जिन्हे अनुसन्धानकर्त्ता द्वारा प्रथम बार आरम्भ से अन्त तक स्वयम् घटना स्थल पर जाकर एकत्रित किये जाते हैं और जिन्हे इससे पूर्व कभी भी किसी भी अनुसन्धान कार्य में प्रयोग में नहीं लिए गए हों तो उन्हें प्राथमिक संमक कहते हैं। ऐसे संमकों को इस अनुसन्धान कार्य में प्रयोग में नहीं लिया गया है।
- **द्वितीयक संमक :** द्वितीयक समंक वे समंक हैं जो पहले ही अन्य किन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किये जा चुके हैं और अनुसन्धानकर्त्ता केवल उनका प्रयोग करता है तो उन्हें द्वितीयक संमक कहते हैं। इस शोध अध्ययन का आयोजन पूर्णतः द्वितीयक संमकों के आधार पर किया गया है। इस शोध कार्य को भारतीय स्टेट बैंक एवं आई. सी. आई. सी. आई. बैंक दोनों के वर्ष 2010 के संमकों से प्रारम्भ करके किया गया है क्योंकि प्राचीन संमकों, प्राथमिक संमकों के रूप में प्राप्त करना असुविधाजनक है इसलिए इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए शोध–अध्ययनों, विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, मैगजीन्स, समाचार पत्रों, विभिन्न बैंकिग संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित अन्तिम खातों एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा जारी किये जाने वाले बुलेटिन आदि के माध्यम से संमक एकत्रित किये गये हैं।

निर्वचन

गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्दि का बैंकों पर तीन प्रकार से प्रभाव पड़ता ही जैसे बैंकों लेन–देन क्षमता में गिरावट आना, लाभ में कमी होना एवं बैंकिंग नकद प्रवाह में कमी आना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वरा जारी नवीन समंकों से यह उल्लेख किया गया कि बैंकों का सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 7.48 प्रतिशत था इस रिसर्च का आयोजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आईसीआईसीआई बैंक की गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में तुलनात्मक अध्ययन है इस लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई. सी. आई. सी. आई बैंक की वर्ष 2010 से गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की स्थिति निम्न सारणी में दी गई है–

State Bank of India			ICICI Bank		
Non - Performing Assetes			Non - Performing Assetes		
Year	Gross NPA	Net NPA	Year	Gross NPA	Net NPA
2021	126,389.02	36,809.72	*2021*	107,256.33	124,650.69
2020	149,091.85	51,871.30	*2020*	142,438.00	167,363.65
2019	172,750.36	65,894.74	*2019*	176,034.98	207,972.85
2018	223,427.46	110,854.70	*2018*	275,355.10	329,773.45
2017	112,342.99	58,277.38	*2017*	141,936.36	170,066.55
2016	98,172.80	55,807.02	*2016*	132,685.14	159,580.65
2015	56,725.34	27,590.58	*2015*	67,140.34	79,928.13
2014	61,605.35	31,096.07	*2014*	75,194.91	89,735.95
2013	51,189.39	21,956.48	*2013*	54,968.18	64,939.92
2012	39,676.46	15,818.85	*2012*	39,879.38	46,782.80
2011	25,326.29	12,346.89	2011	28,731.90	33,899.84
2010	19,534.89	10,870.17	2010	24,095.28	28,525.36

Sources: S.B.I. Bulletin 31 March, 2021 and I.C.I.C.I. Bulletin march, 2021

सकल गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों के आधार पर तुलना

उक्त सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2010 से 2019 तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की राशि आई. सी. आई. सी. आई बैंक की सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों कि राशि से कम है जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक की वसूलीकरण स्थिति ठीक है जबकि आई. सी. आई. सी. आई बैंक की वसूलीकरण स्थिति ठीक नहीं है। 31 मार्च, 2020 एवं 21 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की गैर–निष्पादित परिसम्पतियों की मात्रा आई. सी. आई. सी. आई बैंक के अपेक्षा अधिक है जिससे स्पष्ट होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की वसूलीकरण प्रबन्ध व्यवस्था आई. सी. आई. सी. आई बैंक की अपेक्षा ठीक नहीं है। वर्ष 2019 के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों में वृद्धि होने का कारण है कि भारत में कोविड–19 के प्रभाव के कारण भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर ऋण देने, कोविड के कारण आर्थिक मंदि को कम करने के लिए अनेक उद्योगों को पुनर्वित की सुविधा प्रदान करने, ऋण स्थिरीकरण, कृषि एवं कृषि के सहायक कार्यों हेतु ऋण देने एवं बेरोजगारों कों रोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने आदि अनेक कार्यों से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में गत 2 वर्षों से सकल गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों की मात्रा बढ़ी है।

शुद्ध गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के आधार पर तुलना

उक्त सारणी का अध्ययन करने पर यह जानकारी मिलती है कि वर्ष 2010 से 2021 तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में शुद्ध गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की राशि आई. सी. आई. सी. आई बैंक की शुद्ध गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की राशि की अपेक्षा कम है तथा आई. सी. आई. सी. आई बैंक में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की राशि अधिक है। इस लिए शुद्ध गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के आधार पर भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की वसूलीकरण की स्थिति ठीक है।

निष्कर्ष

उक्त शोध अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं में प्राचीन समय से ही ऋणों के पुनर्भुगतान की समस्या बनी रहती आई है क्योंकि सरकार के द्वारा गठित विभिन्न बैंकिंग जांच

समितियों एवं बैंकिंग जांच आयोगों आदि के द्वारा प्रश्तुत किये गए प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों एवं निष्कर्षों, विभिन्न शोध अध्ययनों और वर्तमान बैंकिंग परिस्थितियों के आधार पर दिन प्रति दिन बैंकों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ती जा रही हैं जो कि बैंकिंग एवं आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं है

सुझाव

उक्त शोध अध्ययन, साहित्य सर्वेक्षणों एवं विभिन्न बैंकिंग जांच समितियों, बैंकिंग जांच आयोगों एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गए बैंकिंग निरीक्षण दलों आदि के परिणामों के आधार पर बैंकों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के विस्तार को रोकने के लिए विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करना चाहिए जैसे– ऋणों की राशि एवं अवधि कम होनी चाहिए, सुरक्षित ऋण पद्दति होनी चाहिए, नवीनतम क्रेडिट जोखिम प्रबन्धन तकनीको का प्रयोग करना चाहिए, ऋण वसूली ट्रिब्युनल के अनुसार ऋण मामलों को सुलझाना, प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 के अधीन वसुलीकरण करना, छोटे ऋणों की वसुलीकरण के लिए लोक अदालत का प्रयोग करना, गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के लिए समझौता निपटारा तंत्र का प्रयोग करना, ऋण देने से पूर्व सभी बैंकों को क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड के आधार पर जांच करना आदि के द्वारा बैंकों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों को कम किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता डॉ. बी.पी., वशिष्ठ डॉ. वी.के. एवं शर्मा डॉ. रागिनी ; ''भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था'', आर. बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 978-81-8142-702-1, 2018-19.
2. त्रिवेदी प्रो. इन्द्र वर्द्धन, सिंह डॉ. गोपाल, दशोरा डॉ. राकेश, नागर डॉ. अशोक एवं भण्डारी डॉ. इन्द्रकला ; ''भारतीय बैंकिंग प्रणाली'', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 81-8142-066-7, 2018-19.
3. मन्जू आर. ; "बैंक क्रेडिट एवं वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट" प्रकाशित शोध, ग्रन्थ वाणिज्य विभाग, मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेली, 2018.
4. देशमुख, रेणुका एच ; "बैंक फाइनेन्शिंग ऑफ कलीन डेवलपमेन्ट मेकेनाइज्म प्रोजैक्ट इन इण्डिया ए स्टडी ऑफ एक्साइटिंग प्रोसिजर्स शिस्टम एण्ड चैलेन्जेज विद रेफ्रेन्श टू इन्डस्ट्रीज इन महाराष्ट्रा", प्रकाशित शोध ग्रन्थ, प्रबन्ध विभाग, नार्थ महाराष्ट्र युनिवर्सिटी, जलगाँव, 2015.
5. घोष प्रियंका, ; "बैंक मर्जर्स इन इण्डिया : इफैक्ट आन फाइनेन्शियल परफारमेंशेज एण्ड शेयर होल्डर्स वैल्थ ऑफ द एक्वायरर बैंकस", प्रकाशित शोध ग्रन्थ, प्रबन्ध विभाग, श्री जगदीश प्रशाद झाबरमल तिबारेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी झुन्झुनूं , 2015.
6. शर्मा अरूण कुमार, ; "बैंक क्रेडिट टू स्मॉल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज एण्ड इम्पैक्ट ऑन फाइनेन्शियल परफॉरमेन्सः ए स्टडी ऑफ सैलेक्टेड फर्मस इन साउथेर्न राजस्थान", प्रकाशित शोध ग्रन्थ, प्रबन्ध विभाग, पेसिफिक ऐकेडेमिक ऑफ हायर एज्यूकेसन एण्ड रिसर्च यूनिर्वसिटी, उदयपुर, 2014.
7. पाल नित्या नन्द ; "बैंक फाइनेन्श एण्ड देयर रिकवरी प्रोबल्मश विद स्पेशियल रेफ्रेंश द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुदरवान" प्रकाशित शोध, ग्रन्थ वाणिज्य विभाग, द यूनिर्वसिटी ऑफ बुदरवान, 1989
8. कंसल डॉ. अन्जु, शर्मा डॉ. ममता, जैन डॉ. अंकुर एवं छीपा सन्जय कुमार ; ''भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली'', अमेरा बुक कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, 2019.
9. ओझा बी.एल. एवं औझा मनोज कुमार ; ''बैंकिंग विधि एवं व्यवहार'', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 81-8142-283-X, 2018-19.

10. गुप्ता प्रो. बी.पी., वशिष्ठ डॉ. वी.के. एवं स्वामी डॉ. एच.आर, ; ''बैंकिंग एवं वित्त'' आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 81-8142-025-X, 2013-14.

11. श्रीवास्तव पी.के. : ''आधुनिक बैंकिंग एवं व्यवहार'', शिवा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 1999.

12. भाटी पी.आर. ; ''इन्टरनेशनल बैंकिंग'', कामनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 1999.

13. माथुर टी.एन.आर. एवं जैन पी.सी.; ''भारतीय बैंकिंग प्रणाली'', रिसर्च पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2000.

14. यादव पी.डी. ; ''भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ'', रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002.

oc lkbV

15. (sources:https://www.jagran.com/business/top15-know-everything-about-npa-and-new-guidelines-of-rbi-over-npa-17515771.html)

16. (sources:https://www.businessmanagementideas.com/hi/banking/management-of-non-performing-assets-of-a-bank-banking/18058)

❖◆❖